158

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1231—एक/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—01—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 129, 2012—13/अ.मा.

.....

मतादीन पुत्र कन्हैयालाल शर्मा
निवासी—ग्राम विलगांव चौधरी
परगना जौरा, जिला—मुरैना

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री सुनील जादौन, अभिभाषक, आवेदक
शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 21-12-2016 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—01—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बिलगांव चौधरी की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 3015 रकबा 0.080, 3017 रकबा 0.070, 3018 रकबा 0.030, 3019 रकबा 0740 पर अपीलार्थी का कब्जा रहा है। अपीलाधीन भूमि शासकीय अभिलेख में चरनोई के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा मौके पर उपरोक्त भूमि काबिल काश्त है। इस कारण चरनोई से काबिल काश्त घोषित किये जाने हेतु अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र कलेक्टर, मुरैना के समक्ष पेश किया। कलेक्टर मुरैना ने तहसीलदार जौरा से अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के माध्यम से अभिमत मगाये जाने हेतु तहसीलदार जौरा को पत्र जारी किया। तहसीलदार जौरा ने कलेक्टर के

द्वारा भेजे गये पत्र को प्र.क्र. 103/2009–10/बी–121 पर दर्ज कर विधिवत इश्तहार जारी किया तथा ग्राम पंचायत बिलगावं चौधरी का अभिमत प्राप्त किया, जिसमें ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव ठहराव देकर प्रश्नाधीन भूमि को चरनोई से काबिल काश्त में परिवर्तित करने हेतु अपना अभिमत दिया तथा मौके का निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर तहसीलदार जौरा ने उक्त भूमि को काबिल काश्त में बदलने हेतु अनुसंसा कर अभिमत अनुविभागीय अधिकारी, जौरा को भेजा अनुविभागीय अधिकारी, जौरा ने प्रश्नाधीन भूमि को चरनोई से काबिल काश्त में बदलने हेतु अपना कोई अभिमत न देते हुये प्रकरण से परे व्यक्तिगत हित में आवंटन न करने हेतु अनुसंशा कर कलेक्टर, मुरैना को प्रकरण प्रस्तुत किया। कलेक्टर, मुरैना ने ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार जौरा के अभिमत पर कोई ध्यान न देते हुये अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के अभिमत को आधार मानकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को भूमि परिवर्ततन के हेड अ–60 पर प्रकरण को पंजीबद्ध न करते हुये अवैध रूप से बंटन के हेड अ–19 प्र0क्र0 8/2 11–12/अ–19 में दर्ज कर दिनांक 21.11.2011 को आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध दिनांक 18.01.2013 को अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष मय शपथ-पत्र धारा 5 अवधि विधान के साथ प्रथम अपील प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 129/2012–13/अ.मा. पर दर्ज किया जाकर अपीलार्थी की अपील को अवधि बाह्य मानकर दिनांक 31.01.2013 को आदेश पारित कर निरस्त कर दिया। जिससे परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में विधिवत मय शपथ–पत्र के धारा 5 अवधि विधान का आवेदन प्रस्तुत किया तथा कलेक्टर के प्र.क्र. 8/2011–12/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2011 की जानकारी दिनांक 18.01.2013 को होने के संबंध में समुचित कारण बताये जाने का लेख किया, किन्तु अपर आयुक्त ने अपीलार्थी के आवेदन पर विचार किये बिना ही आदेश पारित कर अपीलार्थी की अपील को निरस्त कर दिया। अपील को गुण–दोषों पर निराकृत करना चाहिये था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। कलेक्टर, मुरैना के यहां अपीलार्थी का आवेदन भूमि परिवर्तन के सम्बन्ध में दिया गया था, किन्तु अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र को अ–60 में दर्ज न करते हुये राजस्व परिपत्र के हेड अ–19 में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज कर बगैर सूचना दिये एवं बगैर सुनवाई किये हुये

दिनांक 21.11.2011 को विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक शासन के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम बिलगांव चौधरी में स्थित विवादित भूमि को चरनोई से काबिल काश्त घोषित करने बावत् आवेदन–पत्र कलेक्टर, जिला–मुरैना द्वारा विचाराधीन आदेश दिनांक 21.11.2011 से इस आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किया गया कि वर्तमान में शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि आवंटन पर रोक है। अपीलार्थी के अभिभाषक का कहना कि पट्टे पर भूमि नहीं मांगी गई थी, केवल काबिल काश्त घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया था। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में विलंब का जो कारण बताया गया है। वह संतोषजनक नहीं है। अपीलार्थी द्वारा काबिल काश्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था। अपीलार्थी का यह दायित्व था कि वह प्रकरण में हो रही कार्यवाही की जानकारी यथासमय रखते । इतने दिनों तक खामोश बैठने के बाद अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना में एक वर्ष से अधिक समय के बाद अपील पेश की गई। रे0नि0 1992 पृष्ठ 289 लंगरी तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5 व्याप्ति अधिवासिता की प्रकृति वैवेकिक है। पक्षकार विलंब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है। पर्याप्त कारण का सबूत अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिवासिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है–न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता।" ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अवधि विधान की धारा 5 के तहत लाभ दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी स्तर पर अपर आयुक्त ने अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मानकर अस्वीकार किया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील अस्तित्वहीन होने से खारिज किया जाता है और अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर